

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

सं0-03/आ01-89/2024...../श्री समर बहादुर सिंह, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा संप्रति संयुक्त निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. को विभागीय संकल्प संख्या-233 दिनांक 28.11.2024 द्वारा निलंबित किया गया था।

2. विभागीय संकल्प संख्या-235 दिनांक 28.11.2024 द्वारा श्री समर बहादुर सिंह के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

3. विभागीय आदेश संख्या-286 दिनांक 30.06.2025 से श्री सिंह को निलंबन मुक्त करते हुए इनका पदस्थापन संयुक्त निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, महेन्द्रू, पटना के पद पर किया गया।

4. श्री समर बहादुर सिंह के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा इनके विरुद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को अप्रमाणित पाया गया है। तदनुसार समीक्षोपरांत आदेश सं0-318664 दिनांक 10.11.2025 द्वारा श्री समर बहादुर सिंह को अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप मुक्त करते हुए मामले को समाप्त किया गया। तत्समय निलंबन अवधि के सेवा निरूपण एवं वेतन/भत्तों की अनुमान्यता के संबंध में निर्णय नहीं लिया गया है।

5. श्री समर बहादुर सिंह द्वारा निलंबन अवधि (दिनांक 28.11.2024 से दिनांक 30.06.2025) के वेतन-भत्ता एवं सेवा निरूपण के संबंध में अभ्यावेदन दिया गया है।

6. श्री समर बहादुर सिंह के निलंबन अवधि के वेतन-भत्ता एवं सेवा निरूपण के संबंध में समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है -

“श्री समर बहादुर सिंह, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा सम्प्रति संयुक्त निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, महेन्द्रू, पटना के दिनांक 28.11.2024 से दिनांक 30.06.2025 तक की निलंबन अवधि को सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य पर बितायी गई अवधि मानी जाएगी” ।

7. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./

(मनोरंजन कुमार)

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक- सं0-03/आ01-89/2024..i/394750/ पटना, दिनांक- 10-04-2026

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ शिक्षा विभाग अंतर्गत सभी निदेशक/प्रबंध निदेशक/परियोजना निदेशक/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वि0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्री समर बहादुर सिंह, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा सम्प्रति संयुक्त निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, महेन्द्रू, पटना एवं आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by

मनोरंजन कुमार

Date: 09-04-2026 19:03:48